

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग-5)

क्र.: एफ 27(263)ग्रावि / ग्रुप-5 / जीकेएन / उपानन / 2015-16

जयपुर, दिनांक 6/2/18

जिला कलक्टर,
समस्त राजस्थान।


विषय: राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 16 की पालना बाबत संशोधित आदेश।

प्रसंग: विभागीय पत्र दिनांक 06.11.2017 द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की योजनाओं में 5 लाख से 10 लाख तक के निर्माण कार्यों की मस्टररोल पर कराने की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त विभागीय परिपत्र के कारण कुछ जिलों में निर्माण कार्यों को कराने के संबंध में नियमों की विसंगति उत्पन्न हो जाने के कारण प्रकरण का पुनः परीक्षण किया गया एवं इस संबंध में वित्त विभाग को मार्गदर्शन हेतु पत्रावली भेजी गई। वित्त विभाग के परीक्षण के उपरान्त उनकी आई.डी. सं. 101800246 दिनांक. 29.1.18 के क्रम में विभागीय पत्र क्रमांक एफ 27(263)ग्रावि / ग्रुप-5 / जीकेएन / उपानन / 2015-16 / ई.ओ.नं. दिनांक 06.11.17 को एतद् द्वारा तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहरित (Withdraw) किया जाता है।

भवदीय,


(सुदर्शन सेठी) 6.2.2018
अति. मुख्य सचिव


ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं.रा.वि., राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं.रा.वि., राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
6. निजी सचिव, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, वित्त, आयोजना, वन, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग/ग्रावि एवं पंरावि/सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस), समस्त राजस्थान।
5. प्रधान, मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर।
6. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
7. मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, जयपुर।
8. मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर।
9. समस्त परियोजना निदेशक एवं शासन उप सचिव/ वित्तीय सलाहकार/ अधीक्षण अभियंता/ अधिशाषी अभियंता, ग्रा.वि. एवं पंरावि/ ईजीएस/जलग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
11. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
12. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, प्रथम/द्वितीय, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
13. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (मो.एवं.मू.)ग्रा.वि. को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
14. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस/अभियान्त्रिकी/जलग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग, जि.प. समस्त राजस्थान।
15. विकास अधिकारी, पं.स. समस्त, राज. को प्रेषित कर निर्देश है कि इस आदेश की प्रति प्रत्येक ग्रा.पं., ग्राम सेवक एवं प्रत्येक सहायक/कनिष्ठ अभियंता तथा अन्य संबंधित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करावे।
16. रक्षित पत्रावली।


अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास